न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 07/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरबंशलाल जाति जाट निवासी म.नं. 1, चक 5–ई छोटी, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.01.2018, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने नाम से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 27.7.17 को आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3769 दिनांक 2.11.17 में "आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।" की टिप्पणी की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट आवेदक ने अपना पेशा खेती बताया है परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि उसकी जान–माल अथवा सम्पत्ति को किसी प्रकार से खतरा हो, जिसके कारण उसे शस्त्र की आवश्यकता हो तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने का उल्लेख करते हुए आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सत्यपाल सहू ने वरवक्त बहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में समस्त आपराधिक एवं विधिक कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए शपथ पत्र भी संलग्न किया है, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 3769 दिनांक 2.11.2017 में मात्र यह अंकित किया कि आवेदक द्वारा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं, जबकि अपीलांट द्वारा अपने शपथ पत्र में सभी विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए सभी तथ्य सही सही बयान किये हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उसे अपनी स्वंय की सुरक्षा हेतु शस्त्र/शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट को आधार मान कर अपीलांट की पीठ पीछे, एक तरफा, बाला–बाला कार्यवाही कर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 3769 दिनांक 2.11.2017 के अनुसार आवेदक द्वारा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये हैं तथा अपीलांट को जान–माल का खतरा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अपीलांट आर्म्स रूल्स 2016 के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उसे अपनी स्वंय की सुरक्षा हेतु शस्त्र/शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट को आधार माना है, जबकि अपीलांट ने स्वंय की सुरक्षा के मध्यनजर उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होने संबंधी शपथ पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जहॉ तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं होने का प्रश्न है ,इस संबंध में अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। परन्तु अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश भी कार्यालय टिप्पणी पर दिया गया आदेश है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए शस्त्र अधिनियम में दिये प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर पुनः विधि सम्मत आदेश प्रदान करें।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर